सं0-12/2015/1137/26-2-2015

प्रेषक,

सुनील कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

समाज कल्याण अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 03 जून 2015

विषयः- उ0प्र0 माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक का भरण-पोषण तथा कल्याण नियमावली 2014 के प्रस्तर-4 के अनुसार सुलह अधिकारी की तैनाती हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में अवगत कराना है कि उ0प्र0 माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक का भरण-पोषण तथा कल्याण नियमावली 2014 के अध्याय-2 के प्रस्तर-4 में सुलह अधिकारी की तैनाती के संबंध में आधार बिन्दु दिये गये है। उक्त हेतु सुयोग्य व्यक्तियों का पैनल तैयार कराने के विषय में मार्गदर्शन देते हुए सुलह अधिकारी की तैनाती के लिए निम्नलिखित पात्रता निर्धारित की गयी हैः-

(क) वह किसी ऐसे संगठन से जुड़ा हो जो वरिष्ठ नागरिकों तथा/या कमजोर वर्गों के कल्याण हेतु या शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी-उन्मूलन, महिला/समाज कल्याण, ग्रामीण विकास या संबंधित क्षेत्रों में निष्कलंग सेवा अभिलेख सहित कम से कम दो वर्ष से कार्य कर रहा हो,

(ख) वह संगठन का वरिष्ठ पदाधिकारी हो, और

(ग) उसे विधि की अच्छी जानकारी हो,

परन्तु यह कि उस व्यक्ति को भी, जो उपरोक्त उल्लिखित प्रकार के किसी संगठन से जुड़ा न हो, उप नियम(1) में उल्लिखित पैनल में सम्मिलित किया जा सकता है, यदि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हो, अर्थात-

(एक) उसका खण्ड (क) में उल्लिखित एक या अधिक क्षेत्रों में अच्छी और निष्कलंग लोक सेवा का अभिलेख रहा हो, और

(दो) उसे विधि की अच्छी जानकारी हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

नियमावली में दी गयी व्यवस्था के अनुसार राज्य सरकार द्वारा सुलह अधिकारी की नियुक्ति की जायेगी एवं उनका कार्यकाल नियुक्ति तिथि से 03 वर्षों के लिए होगा।

उत्तर प्रदेश शासन, समाज कल्याण अनुभाग-2 के पत्र संख्या-2595/26-2-2014 - 100(2)/2008 दिनांक 20.10.2014 द्वारा ट्रिव्यूनल के गठन हेतु नोटिफिकेशन करा दिया गया है तथा उपरोक्त नियमावली के प्रस्तर-11, 12 एवं 13 में सुलह अधिकारी के दायित्व निर्धारित किये गये हैं। उक्त से स्पष्ट है कि अधिकरणों के संचालन में सुलह अधिकारी की अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत मामलें में उपरोक्तानुसार मापदण्ड पूर्ण करने वाले व्यक्तियों का पैनल तैयार कर प्रस्ताव दिनांक 15.06.2015 तक निदेशक, समाज कल्याण उ0प्र0, लखनऊ को उपलब्ध करायें। निदेशक, समाज कल्याण द्वारा संकलित प्रस्ताव तैयार कर शासन को दिनांक 20.06.2015 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेगें।

भवदीय,

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव।

<u>सं0-12/2015/1137(1)/26-2-2015 तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-15/स0क0/अनुदान/2015-16, दिनांक 05.05.2015 के संदर्भ में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत मामलें में अनुश्रवण कर संकलित प्रस्ताव शासन को दिनांक 20.06.2015 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।